कार्यालय, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर

शिक्षक नियोजन 2016

(प्रेस विज्ञप्ति)

जिला परिषद् माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अन्तर्गत निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक 924 दिनांक 09.06.2016 एवं पत्रांक 1958 दिनांक 13.08.2016 द्वारा पंचम चरण के शिक्षक कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परिषद् माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक निम्नांकित विषयों में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर विभागीय दिशा निदेश के आलोक में औपबंधिक मेधा सूची तैयार किया गया है। जिला परिषद् (शिक्षक नियोजन) पैनल निर्माण समिति द्वारा माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक के विषयवार औपबंधिक मेधा सूची अनुमोदनोपरान्त दिनांक 28.10.2016 को जिला के वेबसाईट **muzaffarpur.bih.nic.in** पर प्रकाशित किया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र के साथ संलग्न शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि या अपठनीय रहने के कारण वैसे अभ्यर्थियों को REJECTED की सूची में उनके अभ्युक्तियों कॉलम में कारण स्पष्ट करते हुए रखा गया है।

जिला परिषद् माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक के विषयवार प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची पर दिनांक 29.10.2016 से दिनांक 14.11.2016 तक समय 11 बजे पूर्वाह्न से 04 बजे अपराह्न तक साक्ष्य आधारित आपत्ति जिला परिषद शिक्षक नियोजन कोषांग, मुजफ्फरपुर में विषयवार निर्धारित काउन्टर पर लिया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि के बाद किसी का आपत्ति न लिया जायेगा और न उस पर पैनल निर्माण समिति द्वारा विचार ही किया जाएगा।

आपत्ति लेते समय ऐसा देखा जा रहा है कि अभ्यर्थी के रिश्तेदार नियोजन कोषांग में आते है तथा उन्हें आवेदन के साथ शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र की जानकारी नहीं रहने के कारण आपत्ति निराकरण में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतएव अभ्यर्थी स्वयं शिक्षक नियोजन कोषांग में उपस्थित होकर अपना आपत्ति दर्ज कराये।

काउन्टर संख्या	माध्यमिक विषय का नाम	उच्चतर माध्यमिक विषय का नाम
01	संस्कृत	संस्कृत, संगीत, एकाउन्टेन्सी
02	**XXXX**	भौतिकी, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं इन्टरप्रेन्योरशिप
03	शारीरिक शिक्षा	हिन्दी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं इतिहास
04	अंग्रेजी, उर्दू	कम्प्यूटर, उर्दू
05	विज्ञान	**XXXX**
06	हिन्दी एवं गणित	अँग्रेजी
07	सामाजिक विज्ञान	**XXXX**

वैसे अभ्यर्थी जो सरकार के अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक 2524 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को नियुक्ति में 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लाभ हेतु आवेदन में दावा किया गया है लेकिन उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में दादा/नाना का पी0पी0ओ0/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र दिया गया है तथा उनके द्वारा वंशावली अंचलाधिकारी से निर्गत नहीं दिया गया है लेकिन सक्षम प्राधिकार का शपथ पत्र दिया गया है उन अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची में रखते हुए उनके अभ्युक्ति कॉलम में **REQD FAMILY LIST BY CO** अंकित किया गया है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को नियुक्ति में 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लाभ हेतु आवेदन में दावा किया गया है लेकिन आवेदन के साथ उक्त आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है उन्हें औपबंधिक मेधा सूची में **REJECTED** की सूची रखते हुए अनके अभ्युक्ति कॉलम में कारण स्पष्ट अंकित किया गया है। इस तरह के अभ्यर्थियों को आपत्ति के समय निम्न प्रगाण–पत्र देना अनिवार्य होगा। जैसे :–

01. पोता/पोती के लिए दादा/दादी का पी.पी.ओ./ताम्रपत्र/भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानियों की सूची की छायाप्रति।
02. नाती/नतिनी के लिए नाना/नानी का पी.पी.ओ./ताम्रपत्र/भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानियों की सूची की छायाप्रति।
03. अभ्यर्थियों का अपने स्वतंत्रता सेनानी, दादा/दादी/नाना/नानी का पोता/पोती/नाती/नातिनी होने का साक्ष्य के रूप में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली।

उक्त स्पष्ट प्रमाण–पत्र अभ्यर्थियों को आपत्ति के समय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा नहीं तो उनके दावे पर नियोजन समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मुजफ्फरपुर। (सदस्य)	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (आमंत्रित सदस्य)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (मनोनित सदस्य)	उप विकास आयुक्त–सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् मुजफ्फरपुर	अध्यक्षा जिला परिषद् मुजफ्फरपुर।